फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

अमरा उर्फ उमराव बनाम छोटेलाल वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 150 /2025

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.11.2025	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री सम्पत जांगिड एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तहसील बहरावण्डा जिला दौसा के वाके ग्राम राणोली के खसरा नम्बर 301, 302, 303 में आगामी पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखे एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 15.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
15/12/25	पत्रावली पेश हुइ वकीलो द्वारा कार्य स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई पत्रावली दिनाँक 27/1/26 को पेश हो।	
27/1/26	पत्रावली पेश हुइ वकीलो द्वारा कार्य स्थगत/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई पत्रावली दिनाँक 24/3/26 को पेश हो।	
24/3/26	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली मे पैरवी हेतु खुले न्यायालय में बार-बार आवाज लगाई गई, लेकिन कोई हाजिर नहीं आया। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	